न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 639 सन 2020

अनवान :–

1. इकबाल सिह पुत्र सुखदेवकौर पुत्री निरजनसिह जाति जटसिख निवासी गक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवासी बडीगखेडा तहसील गलोट जिला मुक्तसर

वादी

बनाम

1. दर्शनसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला मुक्तसर

असल प्रतिवादी

2. जसपालसिह पुत्र सुखदेवकौर पुत्री निरजंनसिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवासी बडीगखेडा तहसील गलोट जिला मुक्तसर
3. गुरमेलसिह पुत्र सुखदेवकौर पुत्री निरजंनसिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवासी बडीगखेडा तहसील गलोट जिला मुक्तसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 34 की कुल 3.7950हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पूर्वज निरंजनसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज निरजंनसिह के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के पूर्वज ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता सुखदेवकौर का पिता है अर्थात वादी का मामा है जिसने परिवार का पुरूष सदस्य होने के कारण समस्त भूमि अपने अकेले के नाम से दर्ज करवा ली जबकि वादी की माता का भी बराबर का हक हिस्सा था इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवार में सदभावना /भाईचारा बनाये रखने के लिये समस्त भूमियो का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता कर लिया जिसमें वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 के हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में मक्कासर की भूमि आई थी इसलिये वाद भूमि जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता निरजंनसिह के देहान्त होने एवं उसके पिता निरजनसिह ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा था किन्तु वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके सम्बध में परिवारिक समझौता होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हिस्से में आई एवं मक्कासर की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की वाद भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 जेएराएन के खाता संख्या 34 की कुल 3.7950हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पूर्वज निरंजनसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज निरजंनसिह के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के पूर्वज ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता सुखदेवकौर का पिता है अर्थात वादी का मामा है जिसने परिवार का पुरुष सदस्य होने के कारण समस्त भूमि अपने अकेले के नाम से दर्ज करवा ली जबकि वादी की माता का भी बराबर का हक हिस्सा था इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवार में सदभावना /भाईचारा बनाये रखने के लिये समस्त भूमियो का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता कर लिया जिसमें वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 3 के हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में मक्कासर की भूमि आई थी इसलिये वाद भूमि जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनो के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआररी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चरपा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 34 की कुल 3.7950हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज निरजंनसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा निरजंनसिह ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है तथा परिवारिक समझौता होने पर वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हिस्से में आई है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि परिवारिक समझौते में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हिस्से में आई है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा व परिवारिक समझौता होने का शपथ पत्र स्टाम्प पर पेश किया गया है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुख्यिा के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद / अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 34 के प0न0 313 / 416(76) किला न0 1 ता 15 की कुल 3.7950हैक्‍ भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इकबाल सिह पुत्र सुखदेवकौर पुत्री निरजनसिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवासी बडीगखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर

2. व

ादी

बनाम

1 दर्शनसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

2. जसपालसिह पुत्र सुखदेवकौर पुत्री निरजंनसिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवासी बडीगखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर
3. गुरमेलसिह पुत्र सुखदेवकौर पुत्री निरजंनसिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवासी बडीगखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 639 सन 2020 निर्णय दिनांक– 12/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 34 के प0न0 313/416(76) किला न0 1 ता 15 की कुल 3.7950हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner